REGISTERED OFFICE :
BHIKAIJI CAMA PLACE, M.G. MARG,
NEW DELHI - 110066
TELEPHONE : 26791234
FAX : 26791033
CIN : L55101DL1980PLC011037
Website : www.asianhotelsnorth.com
E-mail : investorrelations@ahlnorth.com

ASIAN HOTELS

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

AHNL/CS/1013/2026
July 23, 2026

Corporate Services Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code/Scrip ID: 500023/ASIANHOTNR

Symbol: ASIANHOTNR

Sub: Submission of the copies of Newspaper publication regarding opening of special window for re-lodgement of transfer request for physical shares

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the Newspaper Advertisement published in each of Business Standard (English daily) and Business Standard (Hindi daily) both dated July 23, 2026 with regard to opening of special window to eligible shareholders for re-lodgement of transfer request of physical shares in accordance with SEBI circular No. SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026.

You are requested to take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Asian Hotels (North) Limited

KRITI NARULA SEHGAL Digitally signed by KRITI NARULA SEHGAL Date: 2026.07.23 15:49:42 +05'30'

Kriti Narula Sehgal
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A 18422

Encl: as above

OWNERS OF: HYATT REGENCY DELHI

SUDHEER PAL SINGH
New Delhi, 22 July

Solar power clouds

Regional concentration in installations and manufacturing overcapacity are emerging as the sector's biggest structural challenges

Even as India's solar power sector has expanded aggressively over the past few years, two key factors could hinder its growth: Rising regional disparity and consolidation in the domestic solar equipment manufacturing space.

India currently has 157 Gigawatt (Gw) of installed generation capacity in solar power, which has grown exponentially from a paltry 2.8 Gw in 2014, thanks to improvements in technology and a supportive policy environment. In fact, 2025-26 was a watershed year for India's solar growth, recording the highest-ever annual solar addition of 44.61 Gw, exceeding a target of 34 Gw and nearly twice the previous record of 23.83 Gw in 2024–25.

The sector is now entering a phase of consolidation, moving away from capacity expansion towards systemic reforms, including grid integration, dispatchable clean energy architecture, and market reforms.

Regional disparities

While India is poised to become the world's second-largest solar market in 2026 in terms of annual installations, geographical diversification remains a key challenge, with seven states accounting for nearly 85 per cent of the total installed solar capacity.

Rajasthan and Gujarat have held the first and the second ranks, respectively, in capacity addition for a decade.

Maharashtra and Karnataka have also shown strong upward movement in rankings.

However, many large states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh have fallen in both rank and share despite early leadership positions.

"This relative decline could be mainly due to the slower pace of new project additions, land acquisition challenges, and grid constraints," said Yogesh Jambhale, senior manager (research) at Rubix Data Sciences, a Mumbai-based research firm.

A key reason for the concentration is variation in the state policies on land acquisition, say experts.

"Regional concentration is partly structural, as utility-scale solar follows irradiation, contiguous land availability, ease of land access, and evacuation readiness. Therefore, the answer is not to force projects into weaker locations, but to create better locational signals through state-specific tenders, solar parks in under-represented states, faster transmission planning, and more hybrid or storage-linked procurement closer to demand centres," said Sharath Rao, visiting fellow at the New Delhi-based Centre for Social and Economic Progress (CSEP).

Given that land is a state subject, broader geographic diversification will require states to build land-banks, streamline approvals, strengthen intra-state evacuation, and use distributed options such as rooftop solar, open-access solar, feeder solarisation and solar pumps to complement large solar parks, he added.

Anujesh Dwivedi, partner at Deloitte India, agreed that regional disparity is borne of a combination of availability of cheap land and solar irradiation — the amount of solar energy received by a specific surface area over a stated period of time — and is also mostly seen in utility-scale solar power. "In the rooftop space, we even have small states such as Kerala having rooftop solar PV capacity more than that of larger states such as Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka. In the utility-scale space, to reduce regional disparity, policy and regulatory measures can be considered for setting up solar parks with connectivity and land infrastructure, expansion of the green energy corridor infrastructure, and incentives for promotion of land-neutral solutions such as floating-solar and agri-PV solutions," he said.

Solar trends

- India's installed solar power capacity has grown to 157 Gw from 2.8 Gw in 2014, with a record 44.61 Gw added in 2025–26
- Just seven states account for 85 per cent of the installed capacity
- Solar module manufacturing capacity has expanded to around 210 Gw, while annual domestic demand is only 40–45 Gw

Domestic solar industry representatives say investor interest follows stronger project economics. According to Amit Manohar, secretary general, Indian Solar Manufacturers Association (Isma), India's solar capacity has clustered in a few states because of superior resource availability, lower land costs, and stronger project economics.

"Rajasthan and Gujarat have emerged as leaders due to these inherent advantages. The policy priority should now be to make more states investment-ready by improving project economics and infrastructure," he said.

"Strict enforcement of Renewable Purchase Obligations (RPOs), faster transmission expansion under the ISTS network, and state land banks with pre-approved grid connectivity can significantly improve project viability."

Manufacturing glut

The other issue in India's solar success story lies on the domestic manufacturing front, which is seeing consolidation amid increasing overcapacity that threatens a supply glut.

Solar capacity has expanded at a blistering pace, driven by strong policy support, import substitution efforts, and rising renewable energy ambitions. The country added 119 Gw of solar module capacity and over 9 Gw of cell capacity in 2025, bringing the total module capacity to about 210 Gw and cell capacity to 27 Gw. However, this rapid build-out has significantly outpaced domestic demand, which is currently estimated at only 40–45 Gw annually, say experts.

Jambhale points out that industry bodies, including the All India Solar Industries Association (Aisia), have cautioned that India's module manufacturing base has expanded to nearly four times the annual demand, while BloombergNEF estimates that manufacturing capacity has increased nearly 13-fold since 2020 against only a tripling of domestic demand, creating a supply glut.

"The emerging oversupply is beginning to reshape industry dynamics and competitive positioning. Capacity utilisation at module assembly plants has reportedly fallen to around 40 per cent, compared to over 70 per cent during 2022-23, when export demand from the US remained strong," he said.

As manufacturers compete in an increasingly crowded market, companies are being forced to recalibrate strategies, improve operational efficiency, and diversify into export opportunities, he said.

> THE SECTOR IS NOW ENTERING A PHASE OF CONSOLIDATION, MOVING AWAY FROM CAPACITY EXPANSION TOWARDS SYSTEMIC REFORMS

"Technology transition is also becoming a major challenge, with nearly 30 Gw of existing capacity still dependent on MonoPERC technology, which is rapidly being replaced by more efficient next-generation technologies such as TOPCon," Jambhale added.

If the current supply glut persists over the next few years, he warned, the sector is likely to witness increased consolidation, with technologically advanced and vertically integrated players better positioned to survive pricing pressures and sustain competitiveness, while manufacturers operating on older technologies may face margin compression and capacity rationalisation.

However, the problem is not limited to modules alone. Photovoltaic cell production too could grow nearly fourfold to 100 Gw in the next few years, exceeding local demand and intensifying competition further. While aggressive renewable energy targets, rooftop solar expansion, and government incentives continue to support long-term demand, the current phase is likely to accelerate industry consolidation, favour technologically advanced players, and push Indian manufacturers to increasingly compete on a global scale, according to Rubix Data Sciences.

CSEP's Rao says the overcapacity concern is real, but is concentrated more in module assembly, where capacity has expanded much faster than domestic demand. "This could lower utilisation, compress margins and trigger consolidation, but it need not derail long-term solar growth if demand continues to scale. The deeper strategic issue is upstream: domestic cell, wafer and polysilicon capacity is still inadequate, and with ALMM for cells from 1 June 2026 and a current DCR and non-DCR module price differential of roughly ₹ 7–10 per Watt Peak, policy must carefully balance domestic manufacturing support with affordable solar deployment," he said.

Dwivedi argues that the surge in India's domestic module manufacturing capacity needs to be seen in light of the fact that these are not very capital-intensive setups and that such investment decisions are driven by market factors. "India is emerging as one of the leading solar power equipment manufacturing destinations and consequently a significant portion of the manufacturing capacity is eventually going to serve export demand. Occasional mismatches between the supply and demand side are part and parcel of a market driven system," he said.

In the long run, experts believe policy measures such as the production-linked incentive scheme for module manufacturing, mandatory use of ALMM-listed solar cells from June 2026, and the introduction of ALMM List-III for ingots and wafers are set to further deepen the domestic manufacturing ecosystem. According to one estimate, the country's solar capacity is expected to reach nearly 280–300 Gw by 2030 to support the national target of 500 Gw of non-fossil fuel capacity, with annual installations already moving toward a 50 Gw trajectory.

OPINION

India's growth ambition demands policy certainty

AMITABH KANT

To achieve the vision of becoming a developed economy by the centenary of our independence, India will have to grow at 8-9 per cent per annum. This will require raising our investment rate from the current level of 30 per cent of GDP to close to 40 per cent. Given India's savings-investment gap, we require foreign capital. We also require an expansion in our exports and foreign direct investment (FDI). However, foreign capital inflows do not happen automatically. Investments are judged on the probability that returns will accrue. This probability, in turn, rests not just on global factors, but also country-specific factors. Economic potential is important — but it is not the only factor. Regulatory and taxation regimes play an equally important role, as do economic policies. Economic policies and regulatory regimes ensure that economic potential translates into jobs and economic output.

Global investors see policy uncertainty and ambiguity as risks. Opening to foreign capital requires an understanding of transaction risks, as exemplified by the case of Tiger Global, one of the top investors in India's eCommerce space. Its claim for exemption from capital gains tax on the sale of Flipkart shares was rejected after the Supreme Court ruled in favour of the tax department. Similarly, the Vodafone case shows how retrospective laws led to drawn-out litigation before being withdrawn, ultimately ending retrospective taxation in India.

While taxation is a sovereign right, we cannot allow inconsistency and ambiguity. When policies and regulations are ambiguous, companies and authorities tend to arrive at different interpretations. India's Customs is a classic example. Volvo received an advance customs ruling (ACR) to import EVs as completely knocked down kits (CKDs) at a 15 per cent tariff. VinFast applied for a similar ACR to import EV components, sourcing from multiple suppliers and ports, but was rejected. Customs lacked clear criteria for treating components collectively as CKDs. This forces case-by-case judgments, leading to ambiguity and inconsistency. These cases matter significantly because India's growth ambitions necessitate sustained expansion in private investment and exports.

First, taxation policy on foreign capital. India's tax rates on foreign portfolio investors (FPIs) can range from 15 to 24 per cent, depending on whether the gains are long-term or short-term. In contrast, economies such as South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, and Brazil levy close to zero per cent taxation on FPI capital gains. India is a clear outlier. Rather than capital gains, these can be treated as a turnover tax, akin to the existing securities transaction tax (STT).

Secondly, tax policy needs greater transparency and predictability, with reduced litigation and swift dispute resolution. Currently, about ₹25 trillion is embroiled in income tax disputes, and another ₹5 trillion is in dispute over indirect taxes. These unsettled issues divert essential working capital and undermine economic confidence. To increase investment rates, prioritising the reduction of tax litigation is crucial. A key cause of delays is vacancies; the Comptroller and Auditor General (CAG) has highlighted staffing shortages as a major factor behind drawn-out disputes. For example, vacancies in the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) audit departments are nearly 40 per cent. Implementing a focused drive to reduce disputes and hiring dedicated personnel will free up capital and strengthen investor trust.

Thirdly, we also must recognise that to export, we have to import. Raw materials, components, and machinery being held up in Customs clearance again strains working capital and diverts attention from productive activities. An importer interacts with multiple systems and authorities: Customs, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Goods and Services Tax (GST), banks, and border agencies. Data submitted to one often isn't reusable by others, resulting in repeated registrations, duplicate documentation, and failures. India needs a genuine national single window for trade based on a common trader identity and the 'submit once' principle. Data should move seamlessly across Customs, DGFT, GST, Corporate Affairs, and banks without resubmission. The 2026 Budget announced this shift by introducing an interconnected digital approval window, a Customs Integrated System, expanded non-intrusive scanning, and five-year validity for rulings. Now, these announcements must be implemented, and execution is key.

Fourth, policy clarity must accompany digital integration. CKD, semi-knocked down (SKD), and completely built units (CBU) classifications not only determine duty but also influence factory and supply chain design. The law should specify clear criteria for split consignments, shipment intervals, multiple suppliers, ports, and digital bill-of-material traceability. Advance rulings should be publicly available, with reasons regarding any deviations, and made available within 60 days. Customs enforcement must focus on risk. Physical inspections should be rare for low-risk, compliant importers. India needs more scanners, state-of-the-art imaging and testing facilities, and data-driven risk engines so officers can spot suspicious cargo without routinely opening containers.

Finally, beyond individual reforms, India must institutionalise predictability. Ambiguity repeatedly produces disputes. The government should issue binding, generally applicable guidance instead of relying on company-specific rulings. Regulators should publish service standards for assessments, approvals, and appeals, along with regular performance data. This would not constrain India's sovereign right to change policy. It will ensure that policy changes are communicated and administered in a manner that allows firms to plan, invest and comply.

India's economic fundamentals are strong. It offers scale, talent, infrastructure and a large market. But these advantages must be matched by a state that is clear, consistent and credible. India is asking global firms to commit capital, build factories, integrate domestic enterprises into supply chains and use the country as an export base. Such commitments are made over decades, not quarters. Policy uncertainty acts like an additional tax: It raises the risk premium on Indian projects, increases the cost of capital and encourages firms to delay investment or choose alternative locations. For long-term investors, policy certainty and predictability are not a concession. They are part of the basic infrastructure of a competitive economy. Without policy consistency and predictability, India will not achieve the vision of a Viksit Bharat.

The writer is chairperson, Fairfax Centre for Free Enterprise; chancellor, NIIT University; former G20 Sherpa and former CEO, NITI Aayog.

फॉर्म नं. URC-2

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग-I के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी सूचना [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) तथा कंपनी (रजिस्ट्रेशन हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में **"ट्राइडेंट रोमानो रियल्टी एलएलपी" (एलएलपीआईएन: AAR-1706)** नामक एक सीमित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership) द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, हरियाणा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग-I, अध्याय XXI के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में **"ट्राइडेंट रोमानो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड"** नाम से पंजीकृत किया जाए।

2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

   सभी प्रकार की रियल एस्टेट विकास गतिविधियों का संचालन करना तथा अचल संपत्तियों का निर्माण, प्रबंधन एवं विकास करना।

3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप ज्ञापन (Memorandum) एवं उपविधियों (Articles of Association) की एक प्रति निम्न पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी:
   चौथी मंजिल, डीएलएफ स्क्वायर, डीएलएफ फेज-II, जकरांडा मार्ग, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002

4. एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि इस आवेदन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर अपने लिखित अभ्यावेदन **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (CRC), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA), प्लॉट सं. 6, 7 एवं 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) – 122050** को भेज सकता है तथा उसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी प्रेषित करनी होगी।

दिनांक: 23 जुलाई, 2026

आवेदकों के नाम
ट्राइडेंट रोमानो रियल्टी एलएलपी
की ओर से एवं उसके लिए
हस्ताक्षर/-
1. राजीव गोयल (नामित भागीदार)
2. वर्षा चौधरी (नामित भागीदार)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान

केनरा बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक श्रीराम यादव
बनाम
मैसर्स हरीओम इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज व अन्य
बाबत दावा दिलाये जाने राशि
वाद सं. 93 सन 2024

बनाम 1. मैसर्स हरीओम इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज खसरा नं. 585, यू.आई.टी. सैक्टर-3, भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान 301019, जरिये प्रोपराईटर श्रीराम मेहता पुत्र श्री सत्यनारायण मेहता।
2. श्रीराम मेहता पुत्र श्री सत्यनारायण मेहता C/0 हिन्द किश्न मिलप बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नजदीक आई.टी.ओ. नई दिल्ली 110002 प्रोपराईटर मैसर्स हरीओम इलैक्ट्रीकल।

के लिये एक वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 25 माह 08 सन 2026 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए हाजिर होने के लिये समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और इस वाद से सम्बन्धित सार वार प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा या लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करे जिस पर आपको प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावें या प्रति दावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वादी की सुनवाई व उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

आज तारीख 13 माह 07 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर

आदेशानुसार, रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा)

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **एसआरएफ लिमिटेड** के फोलियो नंबर **बी0002322** के तहत स्वर्गीय **भूषण कुमार** के नाम पर मूल मूल्य **रु. 10/-** प्रत्येक के 570 इक्विटी शेयर, जिसका प्रमाणपत्र सं. 41482, 1124134, 57237, 98091, 305051, 305052, 454051, 454052 तथा विशिष्ट सं. 2473801 - 2473825, 307839942 - 307840397, 2849044 - 2849054, 4160997 - 4161014, 15795127 - 15795146, 15795147 - 15795156, 23814919 - 23814938, 23814939 - 23814948 है, खो गए हैं अथवा कहीं गुम हो चुके हैं। अधोहस्ताक्षरी ने कथित शेयरों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी के समक्ष आवेदन किया गया है।

कथित शेयरों के संबंध में अगर किसी व्यक्ति का कोई दावा है, तो उसे इस तारीख से एक महीने के भीतर हमारे पंजीयक, केफिन टेक्नोलॉजिस लि., सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 को लिखना चाहिए, अन्यथा कंपनी डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

तारीखः नई दिल्ली — अनामिका बंसल
स्थानः 23.07.2026 — दावेदार का नाम

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अमित तुषिर पुत्र, निवासी बी-8/29, प्रथम तल, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली श्री सुनील कुमार कुकरेजा से सी-3/107, प्रथम तल, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली - 110085 स्थित संपत्ति क्रय करने के इच्छुक हैं। उक्त संपत्ति के निम्नलिखित मूल दस्तावेज अप्राप्य / लापता हैं:

1. DDA द्वारा जारी बिजली एवं जल कनेक्शन की NOC तथा कब्जा पत्र
2. श्री अशोक कुमार चोपड़ा एवं श्री कपिल शर्मा द्वारा निष्पादित GPA, समझौता पत्र, वसीयत, रसीद, कब्जा पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र आदि सभी मूल दस्तावेज
3. स्व. श्रीमती विजय परमार द्वारा दिनांक 10.05.2011 को पंजीकृत वसीयत जो श्रीमती आशा नगर के पक्ष में की गई थी, जिसमें उक्त प्रथम तल के समस्त अधिकार निहित हैं। यह वसीयत श्री सुनील कुमार कुकरेजा को विक्रय के समय हस्तांतरित नहीं की गई थी।

यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति में उत्तराधिकार, विक्रय, अनुबंध, बंधक, निष्पादन अथवा दिनांक 10.05.2011 की वसीयत या दिनांक 20.11.2019 को श्रीमती आशा नगर द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर या अन्य किसी प्रकार का कोई अधिकार, दावा या हित हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करे।

निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्राप्त न होने पर यह मान लिया जाएगा कि किसी का कोई दावा नहीं है। तत्पश्चात मेरे मुवक्किल उक्त संपत्ति का क्रय बिना किसी अन्य संदर्भ के पूर्ण कर लेंगे और बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर
एडवोकेट सुनील कुमार राणा
एनरोलमेंट सं. D-1197/09
चैंबर नं. 206, लॉयर्स चैंबर बिल्डिंग
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
मोबाइल: 8285830030

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ManiBhavnam Home Finance

वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन भाग–1, नई दिल्ली–110049 (यहां के बाद "एमबीएचएफ" के रूप में संदर्भत) जो अधिसूचना दिनांक 17.06.2021 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत है , को वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण व विनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाए के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने आपको निम्नलिखित सूचना जारी की है :–

ऋणी / सह–ऋणी / गारंटर का नाम व पता : 1. श्रीमती कमलेश पत्नी महेंद्र मकान नं. 110, गांव मोहाना, पेट्रोल पंप के पास, बल्लभगढ़, हरियाणा 121004 (ऋणी नं. 1) 2. श्री सोनू पुत्र धरम पाल मकान नं. 110 गांव मोहाना, पेट्रोल पंप के पास, बल्लभगढ़, हरियाणा 121004 (ऋणी नं. 2) 3. श्रीमती माया पत्नी धरम पाल मकान नं. 110 गांव मोहाना, पेट्रोल पंप के पास, बल्लभगढ़, हरियाणा 121004 (ऋणी नं. 3) ऋण खाता संख्या / दिनांक : HL0000000009309 / 30.12.2023 लिए गए ऋण की राशि : रु. 8,50,000 / – 13(2) सूचना की तिथि : 11.07.2026 एनपीए तिथि : 8.06.2026 धारा 13(2) सूचना अनुसार राशि : रु. 1035333.24 / – (रुपए दस लाख पैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस व पैसे चौबीस केवल) गिरवी संपत्तियां : संपत्ति मकान नं. 110, क्षेत्र माप 200 वर्ग यार्ड मुस्तकिल नं. 120 का भाग, किला नं. 14(7–13) वाका मौउजा मोहाना, उप–तहसील मोहाना , तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा यहां के बाद "उक्त संपत्ति के रूप में संदर्मित। सीमाएं : उत्तर : सड़क 13 फुट, दक्षिण : अन्य क्षेत्र, पूर्व : सड़क 11 फुट, पश्चिम : अन्य क्षेत्र

ऋणी / सह–ऋणी / गारंटर का नाम व पता : 1. प्रवीण कुमारी (ऋणी) पत्नी श्री ब्रहमपाल सिंह, निवासी चाक नं. 893, खसरा नं. 1040, राम वाटिका कॉलोनी, कस्बा दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207 2. ब्रह्मपाल सिंह (सह–ऋणी) पुत्र श्री जगन सिंह निवासी चाक नं. 893, खसरा नं. 1040, राम वाटिका कॉलोनी, कस्बा दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207 3. करतार सिंह (सह–ऋणी) पुत्र श्री निवास बंसल निवासी श्रीनिवास, डागरपुर, बागपत, खेखड़ा बागपत, उत्तर प्रदेश 250609 ऋण खाता संख्या / दिनांक : LP0000000006482 / 20.12.2022 लिए गए ऋण की राशि : रु. 5,25,000 / – 13(2) सूचना की तिथि : 20.07.2026 एनपीए तिथि : 09.07.2026 धारा 13(2) सूचना अनुसार राशि : रु. 572077.44 / – (रुपए पांच लाख बहत्तर हजार सत्तहत्तर व पैसे चवालीस केवल) गिरवी संपत्तियां : फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट क्षेत्र माप 200 वर्ग यार्ड चाक नं. 893 में से, खसरा नं. 1040, कस्बा दादरी, कॉलोनी राम वाटिका, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. बिक्री डीड दिनांक 27.04.2006 के अनुसार उक्त संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : रास्ता 15 फुट चौड़ा, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : महेंद्र पाल के खेत, दक्षिण : भीम व मथान सिंह का प्लॉट

इन कारणों से, हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की सेवा को अनदेखा कर रहे हैं, अतः यह मांग सूचना का प्रकाशन किया गया है। आपको एतद्द्वारा भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, शुल्कों आदि के सहित उपरोक्त राशि का इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऋणी / यों की इस प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी एक प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसके अतिरिक्त आप उपरोक्त प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को बिक्री / लीज या किसी अन्य तरीके द्वारा हस्तांतरित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत प्रतिबंधित हैं। कृपया ध्यान दें कि इसके अतिरिक्त कोई मांग सूचना जारी नहीं की जाएगी।

दिनांक : 23.07.2026, स्थान : हरियाणा / उत्तर प्रदेश
प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2016 का विनियम 12)
पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितग्राहियों के ध्यानार्थ

क्र. सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	निगमित देनदार का नाम	पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	07.09.2020
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार निगमीकृत / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार – हरियाणा
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं. / सीमित दायित्व पहचान सं.	U72900HR2020PTC089043
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत पता :–** ऑल्टएफ, एमपीडी टावर, दूसरी मंजिल, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 43, गुड़गांव, डीएलएफ क्यूई, हरियाणा – 122002
6.	ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि	20.07.2026
7.	निगमित देनदार की परिसमापन प्रारंभन तिथि	21.07.2026
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत् ऋणशोधन अक्षमता व्यवसायी का नाम एवं पंजीकरण संख्या	अंकुर बंसल, पंजीकरण सं.:– IBBI/IPA-003/ICAI-N-00370/2021-2022/13820
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, परिसमापक का पता एवं ई–मेल	**कार्यालय पता :–** एससीओ 66, सेक्टर 47–डी, चंडीगढ़–160047 **ई–मेल आईडी :** ip.caankur@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्र–व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई–मेल	**पत्राचार का पता :** एससीओ 66–67, दूसरी मंजिल, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17–बी, चंडीगढ़–160017 **ई–मेल आईडी :–** cirp.paytailcommerce@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	06.08.2026

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण, चंडीगढ़ ने दिनांक **21–07–2026** को **पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड** के परिसमापन को आरंभ करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा **पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड** के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे **मद सं. 10** के समक्ष वर्णित पते पर, परिसमापक के पास **06–08–2026** को अथवा इससे पूर्व, साक्ष्य सहित अपने दावों को प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण, अपने दावों को साक्ष्य सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य ऋणदातागण, साक्ष्य सहित दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर सकते हैं। दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा।

हस्ता. / –
अंकुर बंसल
मैसर्स पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में परिसमापक

तिथि : 23.07.2026
स्थान : चंडीगढ़

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-003/ICAI-N-00370/2021-2022/13820
एएफए मान्य तिथि : 31.12.2026 तक
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई–मेल : ip.caankur@gmail.com, **मोबाइल नं.:** 9988251003

फॉर्म संख्या INC-२६

[कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में]

केंद्र सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ की उप-धारा (४) और कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के उप-नियम (५) के खंड (अ) के मामले में

और

मैसर्स टैग ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, डीएलएफ सेंटर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद मार्ग, सेंटर दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, ११०००१ पर स्थित है, याचिकाकर्ता।

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी, दिनांक २२.०६.२०२६ को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबंधनों के अनुसार, कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'दिल्ली राज्य' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां या तो एमसीए–२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर दर्ज करा सकता है, या उन्हें क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके पते: बी–२ विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन (पूर्व नाम पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – ११०००३ पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या डिलीवर करवा सकता है। इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजनी होगी:

पता: द्वितीय तल, डीएलएफ सेंटर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद मार्ग, सेंटर दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, ११०००१।

कृते और
टैग ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/ –

स्थान: दिल्ली — **अमन राज खन्ना**
दिनांक: २२ जुलाई २०२६ — **निदेशक**

ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड

OMAX Passionate about Performance

सीआईएन : L30103HR1983PLC026142
पंजीकृत कार्यालय : बी –26, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122001
ईमेलः cs@omaxauto.com, वेबसाइटः www.omaxauto.com
फ़ोनः +91–124–4343000 फ़ैक्सः +91–124–2580016

सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइज़ेशन (डीमैट) के लिए स्पेशल विंडो

कृपया ध्यान दें कि सेबी के 30 जनवरी, 2026 के परिपत्र सं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 **("सेबी सर्कुलर")** के अनुसार, भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइज़ेशन के लिए एक स्पेशल विंडो **4 फरवरी, 2027** तक खुली रहेगी।

यह सुविधा उन निवेशकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2019 से पहले **ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड** ("कंपनी") के भौतिक शेयर खरीदे थे, और जिनके शेयर या तोः

पहले हस्तांतरण के लिए कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए ") के पास जमा नहीं किए गए थे; या

हस्तांतरण के लिए जमा किए गए थे लेकिन बाद में निरस्त या वापस कर दिए गए थे।

योग्य शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ ठीक से भरे हुए ट्रांसफर डीड आरटीए को जमा करें। सफल सत्यापन और मंज़ूरी के बाद, हस्तांतरण किए गए शेयर केवल डीमटेरियलाइज़्ड रूप में क्रेडिट किए जाएंगे और लागू सेबी दिशानिर्देश के अनुसार, हस्तांतरण के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए लॉक–इन रहेंगे। यह सुविधा विवादित मामलों या उन सिक्योरिटीज के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में ट्रांसफर कर दिया गया है।

जो निवेशक इस स्पेशल विंडो का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, **एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (यूनिटः ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड) से **सी–101, एम्बेसी 247, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई– 400083** पर संपर्क कर सकते हैं, या Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ईमेल कर सकते हैं। शेयरधारक किसी भी अतिरिक्त सहायता या जानकारी के लिए कंपनी से info@omaxauto.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर / –
कन्नू शर्मा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः गुरुग्राम
दिनांक : 22 जुलाई, 2026

ANAND RATHI **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेडः** एक्सप्रेस जोन, बी विंग, 5वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पू.), मुंबई– 400 063 भारत

मैसर्स एसएन फॉर्मा — **संदर्भ सं: APPL00010459**

अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **माँग सूचना (विवरणों को विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित किया गया है, यहाँ इसमें इसके उपराँत माँग सूचना)** वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 उप–धारा 2 के अंतर्गत निर्गत की गयी थी, जिसमें **उधारकर्ता(ओं) (विवरण विशिष्ट रूप में निम्न तालिका में वर्णित हैं, यहाँ इसमें इसके उपरांत उधारकर्ता(गण)) को माँग सूचना** में अंकित राशि का ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत ब्याज एवं भावी भावी ब्याज के साथ, आगे की माँग सूचना की तिथि से एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक, निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ (यहाँ इसमें इसके उपरांत देय राशि), का माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता(गण) तथा सह–उधारकर्ता(गण) उक्त बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों **(माँग सूचना के अंतर्गत परिभाषितानुसार)** का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नाँकित तिथि को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक बकाया राशि (विशिष्ट रूप में यहाँ इसमें निम्नाँकित) तथा ब्याज की संविदागत दर पर राशि पर नियत भविष्य के एवं भावी ब्याज के साथ, एआरजीएफएल द्वारा वसूलीकरण एवं / अथवा भुगतान की तिथि तक निर्धारित लागतों एवं शुल्कों एवं अन्य भुगतानयोग्य धनराशियों (यदि कोई) के साथ, हेतु आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : मैसर्स एसएन फॉर्मा (उधारकर्ता) ग्राम वजीराबाद, दुकान संख्या–1, मेन टेम्पो स्टैंड के पास, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, **अन्य पता यहाँ पर भी :** फ्लैट नं. एम–216, दूसरी मंजिल, आर्किड आइलैंड, साउथ सिटी II, सेक्टर–51, डाकघर गुड़गांव साउथ सिटी, जिला – गुड़गांव : 122018

सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम पते : श्रीमती निधि टंडन, श्री सचिन टंडन, फ्लैट नं. एम–216, द्वितीय तल, आर्किड आइलैंड, साउथ सिटी II, सेक्टर–51, डाकघर गुड़गांव साउथ सिटी, जिला – गुड़गांव : 122018

लागू अनुसार भावी ब्याज के साथ माँग सूचना के अनुसार बकाया देयराशि :– रु. 1,54,95,316/– (रुपये एक करोड़ चौव्वन लाख पिचानबे हजार तीन सौ सोलह मात्र)	आरओआई	12.00%
	बकाया मूलधन	14,761,668
	लंबित ईएमआई राशि	529,682
	खंडित अवधि ब्याज	14,762
माँग सूचना की तिथि : 14–05–2026	अति देय ब्याज	153,064
	विधिक शुल्क	18,040
ऋण अनुबंध सं.: APPL00010459	सूचना शुल्क	1,100
	ईएमआई बाउंस शुल्क	17,000
अधिग्रहण की तिथि : 21 जुलाई, 2026	**कुल बकाया**	15,495,316

संपत्ति का पता : आवासीय द्वितीय तल (छत के अधिकारों और कार पार्किंग के साथ) प्लॉट नं. एम– 216, जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 215 वर्ग गज है, जो आर्किड आइलैंड के नाम से जानी जाने वाली आवासीय परियोजना का हिस्सा है, सेक्टर– 51, समसपुर की राजस्व संपदा, उप–तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम, हरियाणा : 122018, भारत में स्थित है। **सीमाएँ :– उत्तर :** प्लॉट नं. एम213, **दक्षिण :** सड़क, **पूर्व :** प्लॉट नं.–215, **पश्चिम :** प्लॉट नं.–217

दिनांक : 21 जुलाई 2026 — आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

ASIAN HOTELS

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110066
फोनः 011 66771225; **फैक्सः** 011 26791033
ई–मेलः investorrelations@ahlnorth.com; **वेबसाइटः** www.asianhotelsnorth.com

सूचना
भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध के पुनः प्रस्तुतिकरण हेतु विशेष विंडो

सेबी के पूर्व परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 एवं सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने हेतु **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक, एक वर्ष के लिए, एक विशेष विंडो खोला गया है** जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों / प्रक्रिया या अन्यथा किसी कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिया गया / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

जिन शेयरधारकों ने 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख को दोबारा जमा करने की कट–ऑफ तिथि) तथा 06 जनवरी, 2026 की समय सीमा चूक दी है, **उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना, भारत, दूरभाषः +91 40 6716 2222, +91 40 7961 1000, ईमेलः einward.ris@kfintech.com** के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कर के इस अवसर का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

उपरोक्त विषय अथवा दस्तावेजों के जमा करने के संबंध में किसी भी प्रश्न हेतु, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निवेशक संबंध विभाग से दूरभाषः 011–66771225 पर संपर्क करें अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर पत्र भेजें अथवा **investorrelations@ahlnorth.com** पर ईमेल करें।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर प्रतिरक्षित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना केवाईसी अपडेट करें और अपने भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट रूप (इलेक्ट्रॉनिक रूप) में परिवर्तित करें।

कृते एवं की ओर से
एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड
हस्ता / –
अरुण गोपाल अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी निदेशक
डीआईएनः 00374421

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जुलाई, 2026

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई -600015,
शाखा कार्यालयः एके टॉवर, दूसरी मंजिल, 56 सुभाष रोड, देहरादून 248001
संपर्क विवरणः जेआरएम : श्री राकेश गुप्ता, 9873925255
आरएलएमः श्री ब्रजेश अवस्थी 9918301885, आरआरएमः श्री हरीश यादव 7060411785
ईमेलः Auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा नियम 8(8) एवं 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत एचएचएफएल के पक्ष में बंधक रखी गई अचल परिसंपत्तियों का विक्रय।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत अनुसूचित संपत्ति का कब्जा ग्रहण कर चुके हैं। जनसामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित सुरक्षित संपत्ति, एचएचएफएल की बकाया राशि की वसूली हेतु, एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों पर निजी संधि / सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। मानक नियम एवं शर्तेः 1. विक्रय पूर्णतः "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जाएगा। 2. क्रेता को आवेदन पत्र एवं केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर देय 25% जमा राशि में समायोजित कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर, क्रेता को विक्रय प्रतिफल राशि का 25% (प्रारंभिक 10% राशि सहित) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। 4. विक्रय की पुष्टि होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष 75% विक्रय प्रतिफल राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। 5. निर्धारित समयसीमा के भीतर राशि जमा न करने की स्थिति में, प्रारंभिक 10% राशि सहित जमा की गई समस्त राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा संपत्ति को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के पुनः विक्रय किया जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो प्रारंभिक 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. रु. 50,00,000 / – (रुपये पचास लाख मात्र) से अधिक की बोली होने की स्थिति में, सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आईए के अंतर्गत 1% टीडीएस जमा करना अनिवार्य होगा। 8. संपत्ति का विक्रय सभी वर्तमान एवं भविष्य के भारों / अधिभारों सहित किया जा रहा है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों अथवा अज्ञात। किसी भी तृतीय पक्ष के दावे, अधिकार अथवा वैधानिक देयों के लिए एचएचएफएल उत्तरदायी नहीं होगा। 9. क्रेता को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से समुचित जाँच–पड़ताल करना अनिवार्य होगा। पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने अथवा नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। 11. नीलामी / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से वेबसाइट www.bankeauctions.com अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा० लि० द्वारा उपलब्ध कराए गए नीलामी पोर्टल के माध्यम से ही आयोजित की जाएगी। 12. बोलीदाता अपनी सुविधा के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं तथा किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी समस्या हेतु सुरक्षित ऋणदाता / सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे। 13. ई–नीलामी से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा० लि० जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 संपर्क व्यक्ति श्री मिथलेश, मोबाइल संख्या 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, ईमेलः tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और तथा सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल सं. +91–7291981124 / 25 / 26 एवं सहायता ई–मेल Support@bankeauction.com से सम्पर्क कर सकते है। 14. ई–नीलामी विक्रय में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर पूर्व अपना पंजीकरण कर उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने के तुरंत पश्चात उसे परिवर्तित कर लें। 15. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं को वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा ऊपर उल्लिखित है) "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा। 16. इच्छुक पक्ष अधिकृत अधिकारी से विवरण प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना प्रस्ताव, ईएमडी एवं केवाईसी दस्तावेजों सहित दिनांक 07.08.2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता बंधक संपत्ति से संबंधित समस्त स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर एवं अन्य वैधानिक व्ययों का वहन स्वयं करेगा। 18. सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं का विमोचन अधिकार नवीनतम न्यायिक निर्देशों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से समाप्त माना जाएगा। 19. विक्रय सरफेसी अधिनियम एवं उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। अनुसूची

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित आस्ति): निर्माणित आवासीय संपत्ति जिसका मकान प्लॉट नं. 110 के भाग पर निर्मित, जिसका भूमि क्षेत्रफल 832.50 वर्ग फीट अर्थात 77.37 वर्ग मी., पुराने खसरा संख्या 142 / 3 एवं नए खसरा संख्या 142 / 7 से संबंधित, शिव गंगा विहार कॉलोनी, ग्राम दादूपुर गोविंदपुर, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार, नगर निगम की सीमा के बाहर, हरिद्वार, पूर्वः 18 फीट अन्य व्यक्ति की भूमि, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता, लंबाई 18 फीट, उत्तरः 46.25 फीट प्लॉट संख्या 124, दक्षिणः 46.25 फीट प्लॉट संख्या 110 का भाग,
बकाया राशिः रुपये 38,62,806 / – (रुपये अड़तीस लाख बासठ हजार आठ सौ छह मात्र) दिनांक 21.07.2026 तक
आरक्षित मूल्यः रुपये 10,00,000 / – (रुपये दस लाख मात्र)।
बयाना राशिः रुपये 1,00,000 / –
ऋण खाता संख्याः **(UT/UTK/DHON/A000001154 & CO/CPC/CPOF/A000003577)**
उधारकर्ताओं का नामः 1. श्री शहजाद, 2. श्रीमती शहराज
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथिः 07.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि / समयः 08.08.2026, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
बोली वृद्धि राशिः रुपये 10,000 / –

दिनांक : 24-07-2026 स्थान : देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया BOI Bank of India

आस्ति वसूली शाखा – गाजियाबाद,
ई-52-बी, सेक्टर-09, नोएडा-201301,
फोन नं.-0120-3295465
ई-मेल- arb.ghaziabad@bankofindia.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट- IV-A
नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां हैं, जिनका रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, 11.08.2026 (**समय 11:00 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न**) को **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 10.08.2026 है। इच्छुक खरीदार अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत करवाएंगे और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी जमा करेंगे।

बेची जाने वाली संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम तथा खाता का नाम/कर्जदार का नाम	विवरण तथा सम्पत्ति के स्वामी	मांग सूचना की तिथि/बकाया तथा कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं.
1.	1. मैसर्स पी.पी. मेटल वर्क्स (प्रोपराइटर-सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय) 19/202-ए, खसरा नंबर 2261/2 का हिस्सा, कृष्णापुरी मठिया, जिला-अलीगढ़, उ.प्र.-202001 2. श्री सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय 15/50, नंदन भवन, तमोली पारा, जिला-अलीगढ़, उ.प्र.-202001	श्री सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय के नाम पर मौजूद आवासीय सम्पत्ति के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक। पताः मकान नंबर 19/202, खसरा नंबर 2261/2 का हिस्सा, कस्बा- कोइल, कृष्णपुरी के पास, पोस्ट और तहसील-कोइल, अलीगढ़। क्षेत्रफल- 100.73 वर्ग मीटर। सीमाएँ: उत्तर- 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- के. पी. स्कूल की जमीन, पूर्व- राजेंद्र प्रसाद की जमीन (अभी कृष्ण कुमार सारस्वत का घर), पश्चिम- के. पी. स्कूल की जमीन।	रु. 1,00,50,881.35 + अप्रयुक्त ब्याज और 30.04.2021 तक का कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है]	रु. 24.30 लाख रु. 2.43 लाख रु. 0.25 लाख	11.08.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
2.	1) श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल यादव 19/527, ए7, वेद नगर-अलीगढ़, उ.प्र.-202001. इसके अलावाः श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल यादव खेत नंबर-294/6 का हिस्सा, गंभीरपुरा पोस्ट पर स्थित और एएमपी; तहसील कोइल, अलीगढ-202001. 2) श्री कमल यादव पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह यादव, 19/527, ए7, वेद नगर-अलीगढ़, उ.प्र.-202001. इसके अलावाः श्री कमल यादव पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह खेत संख्या-294/6 का हिस्सा, गंभीरपुरा पोस्ट और एएमपी; तहसील कोइल, अलीगढ-202001	श्रीमती पूनम यादव पत्नी श्री कमल कुमार के नाम पर मौजूद 237.50 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट। पताः खेत नंबर- 294 का हिस्सा, गंभीरपुरा परगना और तहसील कोइल, ज़िला- अलीगढ़-उ.प्र. - 202001. सीमाएँ: पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः श्रीमती कुमकुम देवी का घर, दक्षिणः नेक्सईमल और सोमपाल दरोगा का घर, उत्तरः आशा देवी और श्री श्याम वार्ष्णेय का घर।	रु. 58,89,302.18 + अप्रयुक्त ब्याज और 01.05.2023 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है]	रु. 78.85 लाख रु. 7.89 लाख रु. 1.00 लाख	11.08.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
3.	1. मेसर्स यदु इंटरप्राइजेज अपने साझेदारों श्रीमती नीरू यादव और श्री विनोद कुमार के माध्यम से पता-21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003. 2. श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार पता-: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003 3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश पता-: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003	श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पर मौजूद गैर-कृषि जमीन। खसरा नंबर-85, खाता नंबर-45, गाँव- सेदरिया, तहसील- सादाबाद, ज़िला- हाथरस, क्षेत्रफल- 2.165 हेक्टेयर (21,650 वर्ग मीटर)। सीमाएँ: पूर्वः कच्चा चक रोड, पश्चिमः गाटा नंबर-84/दूसरों का खेत, दक्षिणः महाराणा सेदरिया लिंक रोड, उत्तरः गाटा नंबर-37/दूसरों का खेत।	रु. 3,82,62,632.31 + अप्रयुक्त ब्याज और 05.12.2025 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है]	रु. 78.85 लाख रु. 7.89 लाख रु. 1.00 लाख	11.08.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936
4.	1) मेसर्स यदुनाथ एंड संस प्रोपराइटर के माध्यम से- श्रीमती नीरू यादव पता-21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.-282003. 2) श्रीमती नीरू यादव पत्नी श्री विनोद कुमार पता-: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003. 3) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश पता-: 21/127, धूलिया गंज, आगरा, उ.प्र.- 282003		रु. 3,90,11,651 + अप्रयुक्त ब्याज और 05.12.2025 से कोई भी बकाया [यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है]	रु. 531.94 लाख रु. 53.20 लाख रु. 1.00 लाख	11.08.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	कैलाश कुमार सागर 9506722936

नियम और शर्तें:

1. नीलामी बिक्री/बोली केवल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से **"ऑनलाइन बोली प्रक्रिया"** के माध्यम से होगी।
2. ई-नीलामी की तिथि और समय 11.08.2026 (**11.00 पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न तक प्रत्येक 10 मिनट के ऑटो-एक्सटेंशन के साथ**) है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 10.08.2026 है।
3. नीलामी बैंक की वेबसाइट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों/वृद्धिशील मूल्य में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें और उसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार वेबसाइट पर अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी जमा करेंगे।
5. संपत्ति सभी मौजूदा या भावी ऋणभार (यदि कोई हो) के साथ बेची जाएगी। अधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार/दावे या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के स्वामित्व, वैधानिक देयता/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। संपत्तियों को **www.baanknet.com** वेबसाइट पर लॉगिन करके देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए बैंकिंग कार्य समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
7. सफल बोलीदाता/क्रेता को संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस (यदि बिक्री मूल्य 50/- लाख और उससे अधिक है) सहित सभी करों का भुगतान करना होगा और ऑनलाइन बिक्री के संचालन के लिए सेवा प्रदाता को देय करों का भुगतान करना होगा। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए इंफ्रिंके/बैंकनेट से स्वयं संपर्क करेंगे। अधिकृत अधिकारी ईएमडी की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
9. अधिकृत प्राधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10. बिक्री प्रमाण-पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों के अंत से पहले पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तथा बिक्री मूल्य का शेष भाग बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा तथा चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता रखते हैं, वे ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** में दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 23.07.2026 **से** 10.08.2026 तक बैंक के कार्य समय के दौरान एओ/शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं/साइट का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद या उल्लिखित तिथि से पहले साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://www.bankofindia.bank.in / https://www.baanknet.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

तिथि : 17.07.2026, स्थान : नोएडा — अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया